पुस्तकालयों के विकास में अधिनियमों का योगदान

शीलू जौहरी
विष्णुपुरी, प्रेमनगर, बरेली।

Article Info
Volume 5, Issue 2
Page Number : 78-84

Publication Issue :
March-April-2022

Article History
Accepted : 02 March 2022
Published : 20 March 2022

शोधसारांश – भारतीय गणतंत्र में विभिन्न प्रान्तों में पुस्तकालय अधिनियमों को लागू कर पुस्तकालय सेवा को जन जन तक बड़ी सुगमता से पहुंचाया जा रहा है । पुस्तकालय ज्ञान का स्तम्भ है, संस्कृति का भण्डार है, जिसका सदुपयोग हमें वैध नियमों के अनुसार ही करना चाहिये । आधुनिक तकनीकि युग में ई.पुस्तकालय के अस्तित्व ने जन मानस के जीवन में ज्ञान की सरिता प्रवाहित कर दी है। आधुनिक परिपेक्ष्य में डिजिटल पुस्तकालय में कॉपी राइट एक्ट अधिनियमित किया गया है, जिसके द्वारा किसी भी लेखक के ई.कण्टेण्ट की मौलिकता को सुरक्षित रखा जाता है । इस प्रकार यह दृष्टिगत है कि पुस्तकालय अधिनियमों के द्वारा पुस्तकालयों के स्वरूप एवं विकास में परिवर्तन एवं गतिशीलता आ रही है, जिससे ज्ञान के आदान प्रदान में मुख्य भूमिका का निर्वहन करने वाली पुस्तकालयी सेवाओं का संवर्द्धन हो रहा है ।

मुख्य शब्द–पुस्तकालय, पुस्तक, राज्य, विश्वविद्यालय, शिक्षा, सामग्री।

सार्वजनिक पुस्तकालयों के निर्बाध तथा प्रभावी विकास के लिये समुचित आर्थिक समर्थन और वैधानिक आधार आवश्यक है । पुस्तकालय अधिनियम, जिसे सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भी कहते हैं, द्वारा इन्हें सुनिश्चित किया जा सकता है । ऐसे अधिनियम, अर्थात् सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का संबंध सार्वजनिक पुस्तकालयों, उनकी संरचना, स्थापना, अभिशासन, रखरखाव, कार्मिक व्यवस्था, वित्त, नियम बनाने, तथा संशोधन का अधिकार इत्यादि बातों से हैं । किसी भी देश के सार्वजनिक पुस्तकालय नेटवर्क के अभिकल्प तथा विकास के लिए राज्य नीति का होना अत्यंत आवश्यक है ।

वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं एवं सामान्य पाठकों की अपेक्षाएँ ग्रन्थालय से काफी बढ़ गई हैं । ऐसी परिस्थिति में किसी भी समाज में जनग्रन्थालय सेवा का अभाव उस समाज को सांस्कृतिक, आर्थिक एवं नैतिक अवनति की ओर ढकेल सकता है ।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

आज जनग्रन्थालय जनतंत्र की सफलता, संस्कृति तथा सभ्यता के विकास एवं जन साधारण की प्रतिभा को निखारने में अत्यधिक सहायक सिद्ध हो रहा है । ऐसी जन उपयोगी संस्था को केवल जनता की लोकोपकारी भावना पर छोड़ना उचित नहीं है बल्कि, कल्याणकारी सरकार का यह परम दायित्व हो जाता है कि ऐसी संस्था की स्थापना एवं संचालन का सम्पूर्ण दायित्व अपने ऊपर ले ले । यह कार्य ग्रन्थालय अधिनियम के द्वारा ही सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है ।

विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को एक सूत्र में पिरोकर विविध केन्द्रीय–स्थलों का नेटवर्क स्थापित करना सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की अभिकल्पना और विकास का एक प्रभावी साधन है । इस प्रकार के नेटवर्क की संरचना पदानुक्रमिक श्रेणियों के रूप में होती है । इस व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के श्रेणीबद्ध पदानुक्रम, राजस्व तथा राज्य के लिये प्रशासनिक इकाइयों को प्रतिबिंबित करतें हैं । इस पदानुक्रम का अरीय या त्रिज्यक रीति में व्यवस्थित किया सकता है । ऐसी व्यवस्था में प्रत्येक राज्य का केन्द्रीय पुस्तकालय अपने त्रिज्य का अरीय केन्द्र होता है जिसके इर्द–गिर्द कुछ प्रमण्डल पुस्तकालय होते हैं, प्रत्येक प्रमण्डल पुस्तकालय अपने त्रिज्य का अरीय केन्द्र होता है, जिसके इर्द–गिर्द जनपद पुस्तकालय होते हैं, प्रत्येक जनपद पुस्तकालय अपने त्रिज्य का अरीय केन्द्र होता है जिसके इर्द–गिर्द कुछ ताल्लुक/प्रखण्ड पुस्तकालय होतें हैं तथा इसी प्रकार प्रत्येक ताल्लुक/प्रखण्ड पुस्तकालय कुछ ग्रामीण पुस्तकालयों के लिये केन्द्र स्थल के रूप में कार्य करता है । इस प्रकार, पुस्तकालय–नेटवर्क की प्रभावी व्यवस्था के लिये विविध प्रशासनिक संरचनाओं के विन्यास–विश्लेषण तथा अनुरूपण की आवश्यकता होती है ।

संभवतः पुस्तकालय अधिनियम ही एक प्रजातांत्रिक एवं उदारवादी समाज में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने का सर्वोत्तम और विश्वसनीय तरीका है ।

पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता

आधुनिक समय में सार्वजनिक पुस्तकालयों को अपनी सेवाएँ निर्धारित मानकों के अतर्गत प्रदान करनी चाहिए और इन सेवाओं के मूल में समाज का विकास तथा पुनर्निर्माण होना चाहिए । मात्र व्यक्तिगत वदान्यता में यह सम्भव नहीं है । पुस्तकालय सेवा के लिये अपेक्षित आय–स्रोत की निरंतरता बनाये रखने के लिए पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता होती है । पुस्तकालय नेतृत्व, लोक नेता, तथा विद्वान यह मानते हैं कि सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना तथा विकास के लिए सार्वजनिक कानून बनाना एकमात्र उपाय है । एडवर्ड एडवर्डस्, डा0एस0आर0 रंगनाथन, तथा अन्य दूर दृष्टा और अग्रणी व्यक्तियों ने अपने–अपने देश में पुस्तकालय अधिनियम के लिए अथक प्रयास किये । सन् 1994 में यूनेंस्को द्वारा जारी किये गए पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टों में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि **" सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना तथा विकास स्थानीय तथा राष्ट्रीय प्राधिकरणों का दायित्व है । ये पुस्तकालय विशेष अधिनियमों द्वारा समर्थित तथा राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरकारों द्वारा वित्त पोषित होने चाहिए ।"** अतः सार्वतनिक पुस्तकालयों का भरण पोषण कुशलतापूर्वक एवं स्थाई रूप में करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनकी स्पंदनशील एवं एकीकृत सेवाओं में एकरूपता बनी रहे । केवल प्रशासनिक आदेश जारी कर किसी प्रणाली, चाहे वह कितनी ही उत्तम क्यों न हो, को स्वस्थ नहीं रखा जा सकता और न ही प्रशासनिक आदेश से पुस्तकालय कार्य एवं सेवा के लिए आर्थिक–स्रोत विकसित किए जा सकते है। पुस्तकालयों की बढ़ती हुई आवश्यकता तथा प्रलेखों की कीमतों में वृद्धि के कारण पुस्तकालयों की वित्त–व्यवस्था का कार्य और भी दुष्कर हो गया है । अतः पुस्तकालय सेवाओं, जिनकी कोटियाँ और माँग निरंतर बढ़ती जा रही है, के लिये समुचित धनराशि की व्यवस्था पुस्तकालय अधिनियम तथा पुस्तकालय अधिकार (बै) द्वारा ही संभव है ।

पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकताओं के प्रमुख तत्व निम्नलिखित है—

1. ग्रन्थालय संरचना हेतु सुदृढ़ नीति का निर्धारण— पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा इसकी संरचना हेतु सुदृढ़ नीति का निर्धारण किया जाना है । इसके द्वारा राजकीय तथा केन्द्रीय अधिकारियों का भी वित्तीय उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाता है । यह कार्य तभी संभव है जबकि राज्य सरकार द्वारा ग्रन्थालय अधिनियम लागू किया जाये ।

2. **वित्त प्रावधान—** वित्त के अभाव में किसी भी संस्था का संगठन एवं संचालन कठिन है । ग्रन्थालय एक सामाजिक संस्था है, अतः अधिनियम में वित्त की व्यवस्था की जाती है । इसके लिये जनता से ग्रन्थालय उपकर वसूल करने का प्रावधान किया जाता है

3 ग्रन्थालय तंत्र की स्थापना – समस्त जन ग्रन्थालय प्रांत के केन्द्रीय ग्रन्थालय से लेकर पंचायत एंव ग्रामीण ग्रन्थालय तक एक दूसरे से जोड़े जायें तभी एक सुदृढ़ ग्रन्थालय तंत्र की स्थापना हो सकती है । यह तभी संभव होगा जब सरकार द्वारा ग्रन्थालय अधिनियम लागू किया जाय ।

4. ग्रन्थालय सेवा की सुनिश्चितता एवं निरंतरता – ग्रन्थालय अधिनियम के अभाव में ग्रन्थालय का विकास सरकार की नीति पर निर्भर करता है । सरकार की नीति बदलती रहती है । कार्यपालिका के प्रधान बदलते रहते हैं । ग्रन्थालय के प्रति किसी सरकार की नीति उदार होती है तो किसी की अनुदार । इससे ग्रन्थालय के विकास पर बुरा असर पड़ता है । अतः ग्रन्थालय सेवा की निरंतरता एवं सुनिश्चितता के लिये ग्रन्थालय अधिनियम आवश्यक है ।

5. सुदृढ़ संचालक मंडल का निर्माण— विभिन्न क्षेत्रों मे ग्रन्थालय की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिनियम द्वारा एजेन्सियों का निर्माण होता है । उनकी नीतियाँ एवं कार्यक्रम निर्धारित किये जाते हैं जिसका पालन कर ग्रन्थालय की स्थापना एवं संचालन सुनिश्चित किया जाता है । इसके लिये ग्रन्थालय अधिनियम परम आवश्यक है ।

6. ग्रन्थालय के कियाकलापों का नियन्त्रण— अधिनियम के द्वारा ग्रन्थालय कार्यक्रम को विधिवद्ध किया जाता है जिसके लिये सरकार को प्रावधान बनाने पड़ते हैं । जब तक अधिनियम में संशोधन नहीं होता तब तक अधिनियम के अनुसार कार्यक्रम चलते रहते हैं ।

7. ग्रन्थालय सहयोग के आधार तैयार करने में सहायक— आज के वैज्ञानिक युग में कोई भी ग्रन्थालय पूर्ण साधन सम्पन्न नहीं हो सकता है। पाठकों की अभीष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अन्य ग्रन्थालयों के संकलन की भी आवश्यकता पड़ती है । इसलिए ग्रन्थालय अधिनियम के द्वारा ग्रन्थालय सहयोग की नीति निर्धारित की जाती है, और जब इस प्रकार के प्रावधान बन जाते हैं । तो वैधानिक वाध्यता के कारण एक ग्रन्थालय दूसरे ग्रन्थालय से जुड़ जाते हैं ।

8. कर्मचारियों के प्रशिक्षण की बाध्यता— पाठक, पाठ्य—सामग्री एवं कर्मचारी ग्रन्थालय के प्रमुख तत्व माने जाते हैं । शिक्षित एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव में कोई भी ग्रन्थालय पाठकों की उचित सेवा में सक्षम नहीं हो सकता है । ग्रन्थालय में सामान्य कार्य एवं तकनीकी कार्य सम्पन्न किये जाते हैं । तकनीकी कार्य सामान्य कर्मचारी सम्पादित नहीं कर सकते हैं । इसके लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है । अतः अधिनियम के द्वारा कर्मचारियों के प्रशिक्षण की वाध्यता को वैधानिक रूप दिया जा सकता है ।

9. जनता को निशुल्क ग्रन्थालय सेवा प्रदान करने में सहायक – ग्रन्थालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जनता को निःशुल्क सेवा प्रदान करे । ग्रन्थालय के संचालन एवं स्थापना का आधा खर्च राज्य सरकार एवं शेष खर्च स्थानीय

निकायों द्वारा जनता पर ग्रन्थालय उपकर लगाकर वहन करना चाहिए । इससे आम जनता को निशुल्क ग्रन्थालय सेवा प्रदान की जा सकती है । यह तभी संभव हो पायेगा जब ग्रन्थालय अधिनियम लागू किया जाये ।

उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति केवल सरकार द्वारा ग्रन्थालय अधिनियम निर्मित करके ही की जा सकती है । संविधान के अनुसार शिक्षा राज्य सूची के अन्तर्गत आती है । केन्द्रीय सरकार ने निशुल्क ग्रन्थालय सेवा के महत्व को समझते हुये आदर्श ग्रन्थालय विधेयक का प्रारूप तैयार कर 1963 में विभिंन्न राज्य सरकारों के पास भेज दिया ।

पुस्तकालय अधिनियम के उद्वेश्य–

अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करने, अपनी आजीविका या व्यवसाय को समुन्नत बनाने या अन्य उद्देश्यों के लिए अपने ज्ञान का संवर्धन करने के हेतु प्रलेखों का उपयोग करने में पाठकों की सहायता करना सार्वजनक पुस्तकालय अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है । सार्वजनिक पुस्तकालय को स्थानीय सूचना केन्द्र के रूप में ज्ञान के स्रोत जन–जन को उपलब्ध कराने का कार्य करना चाहिए । सार्वजनिक पुस्तकालय को नव–शिक्षितों, अर्ध–शिक्षितों, तथा पुस्तकालय का उपयोग नहीं करने वालों को भी अपना पाठक बनाना चाहिए तथा ज्ञान एवं सूचना उपलब्ध करा कर नागरिकों की सेवा करनी चाहिए ।

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि किसी समाज तथा उसमें रहने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समृद्धि तथा विकास मौलिक मानवीय मूल्य हैं । सार्वजनिक पुस्तकालयों के उपयोग द्वारा सूचना–सम्पन्न नागरिक इन मूल्यों की प्राप्ति सुनिश्चित कराते हैं। सम्पूर्ण विश्व की यह मान्यता है कि अपने क्षेत्र में शिक्षा तथा निशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था करना राष्ट्रीय, राज्य, तथा स्थानीय सरकारों का दायित्व है । सार्वजनिक पुस्तकालय वस्तुतः लोक–विश्वविद्यालय भी होते हैं ।

हमारे देश में अधिसंख्यक सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना हुई है । इनमें से अनेक पुस्तकालय स्थानीय निकायों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहें हैं तथा कुछ अन्य पुस्तकालय सशुल्क पुस्तकालय के रूप में कार्य कर रहे हैं । सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं–

1– पुस्तकालयों के लिये वित्तीय साधन जुटाना ।

2– पुस्तकालयों के लिये आधारभूत संसाधन उपलब्ध कराना ।

3– पुस्तकालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सीमा रेखा बढ़ाना ।

4– पुस्तकालयों को अस्थायित्व एवं अस्थिरता के वातावरण से बाहर निकालकर विकास की ओर अग्रसर करना ।

5– पुस्तकालयों को स्वयं में एक संवर्धनशील संस्था के रूप में स्थापित करना ।

6– पुस्तकालयों को प्रौद्योगिकी से जोड़ना ।

ग्रन्थालय अधिनियम के घटक – भारतीय परिस्थितियों में संचालित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के डा0 एस0आर0 रंगनाथन के अनुसार दो प्रमुख कारक हैं–

अ –अनिवार्य कारक– अनिवार्य कारकों में निम्न लिखित घटक सम्मिलित हैं –

(1). **उच्च स्तरीय प्रबन्ध–** इसके अंतर्गत राज्य स्तरीय ग्रन्थालय अधिकारी एवं स्थानीय ग्रन्थालयय अधिकारी की संरचना, उनके अधिकार, कार्य तथा कर्तव्य का समावेश होना चाहिए ।

(2) **प्रशासन** –_उच्च स्तरीय सत्ता द्वारा निर्धारित नीतियों तथा निर्णयों के पालन के लिए विधि के अधीन उपयुक्त प्रशासनिक तंत्र तथा सेवा केन्द्र का होना आवश्यक है ।

(3) वित्त .आवश्यक वित्तीय व्यवस्था के अभाव में सफलता पूर्वक ग्रन्थालय सेवा का संचालन असम्भव है । इसकी समुचित व्यवस्था का प्रावधान अधिनियम का एक अनिवार्य कारक है ।

(4) दायित्व –ग्रन्थालय अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि ग्रन्थालय सत्ता के क्या दायित्व हैं । उसमें यह भी स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि निशुल्क ग्रन्थालय सेवा प्रदान की जायेगी । ग्रन्थालय सत्ता को राष्ट्र अथवा राज्य के ग्रन्थालय संघ एवं भारतीय मानक संस्थान जैसे संस्थानों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुसरण करना चाहिए ।

ब – ऐच्छिक कारक– ग्रन्थालय अधिनियम के निम्नलिखित कारकों को वांछनीय कारकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है–

(1) **संरचना–**अधिनियम में पुस्तकालयों की स्थापना तथा कार्यात्मकता के लिये संरचना का प्रावधान होना चाहिए जिसमें कस्बों तथा गाँव से लेकर शहरों, जनपदों और राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तक के विभिन्न स्तर के पुस्तकालय एक दूसरे से जुड़े हों ।

(2) **लेखा तथा लेखा परीक्षण–** सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के कार्यकलापों तथा आय–व्यय का सरकारी ऑडिट के नियमानुसार निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण किया जायेगा ।

(3) ग्रन्थालय कर्मचारी– इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक राज्य स्तर पर मख्य कार्यकारी होगा जो सूचना विज्ञान क्षेत्र का व्यावसायिक व्यक्ति होगा । राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के निर्देशन में निदेशक राज्य की सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण करेगा ।

(4) ग्रन्थालय सत्ता के विधि निर्माण संबंधी अधिकार– अधिनियमों के आमुख या प्रस्तावना में पुस्तकालय अधिनियम का सुनिश्चित प्रतिपादन होना चाहिए । अधिनियम में राज्य स्तर पर राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के रूप में एक परिषद के गठन का प्रावधान होना चाहिए । पुस्तकालय के प्रभारी मंत्री को राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना चाहिए तथा राज्य में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होना चाहिए । राज्य में गठित विभिन्न स्तरों के पुस्तकालय प्राधिकरण अपने–अपने क्षेत्रों में प्रभावी पुस्तकालय सेवा चला रहें हैं तथा ये प्राधिकरण अपने निर्धारित कार्यों को पूरा कर रहे हैं –इसका पर्यवेक्षण करना तथा इन सेवाओं के प्रोत्साहन के लिये आवश्यक कदम उठाना भी राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का कर्तव्य है । राज्य के सभी नागरिकों को व्यापक एवं सक्षम पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना करना, उसके लिए आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराना तथा उसका प्रशासन करना भी राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्य हैं ।

ग्रन्थालय अधिनियम का महत्व – ग्रन्थालय अधिनियम ग्रन्थालय की संरचना को निर्धारित करता है तथा एक आदर्श ढाचें के अन्तर्गत इसका विकास सुनिश्चित करता है । यह स्थायी तथा क्रमिक रूप से ग्रन्थालय हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर देता है जिससे इसके विकास में अर्थाभाव नहीं हो सके । अधिनियम द्वारा राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों की मनमानी पर रोक लगाते हुये प्रशासक के लिए उपयुक्त सत्ता निर्धारित की जाती है । साथ ही, यह सुनिश्चित कर देता है कि वह सत्ता विधानमंडल एवं जन प्रतिनिधियों के प्रति भी उत्तरदायी हो ।

अतः ग्रन्थालय अधिनियम ग्रन्थालय की संरचना, व्यवस्थापन तथा वित्त हेतु सुदृढ़ वैधानिक आधार तैयार कर देता है जिसके अनुसार अबाध गति से इसका विकास होता रहता है । पुस्तकालय अधिनियम लागू होने के उपरान्त ही पुस्तकालय एवं उसके क्रिया कलापों का सही रूप में विकास सम्भव हो पाया है । अधिनियम के पूर्व के पुस्तकालयों में विखरापन एवं वित्तीय उपेक्षा पाई जाती रही है । अधिनियमों के प्रभाव में आते ही पुस्तकालयों एवं इसकी सेवाओं को कानूनी संरक्षण प्राप्त हो गया और यह आर्थिक रूप से भी सशक्त हो गये । पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालयों की स्थापना, विकास तथा व्यवस्था के लिये पर्याप्त प्रभावशाली होते हैं ।

निष्कर्ष– पुस्तकालय के सूत्र संख्या 4 के अनुसार 'पाठक का समय बचाये' एवं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की संकल्पना 'डिजिटल भारत' को मूर्त रूप प्रदान करने में सहगामी नई शिक्षा–नीति 2020 मे वर्तमान भारत के अधिकांश पुस्तकालयों को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिये कटिवद्ध है, जिससे पुस्तकालय के पंचम सूत्र ' पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है' को पोषण मिलता है । यद्यपि ई– लाइब्रेरी की नींव 19 जून 2018 को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा रखी जा चुकी थी तथापि इसे सशक्त रूप हमारी नई शिक्षा–नीति 2020 ने प्रदान किया है । ई– लाइब्रेरी पूर्णता कम्प्यूटर प्रौद्योगिकीकरण का विस्तृत रूप से प्रयोग है । इसमें पुस्तकों, पाठों, दृश्य–श्रव्य सामग्री आदि का संग्रह डिजिटल रूप में रहता है । इस प्रकार एक ही समय में एक साथ बहुत सारे पाठकों को विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री समान रूप से आवंटित हो पाती है । ई– लाइब्रेरी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है । । ई– लाइब्रेरी के संबर्द्धन के लिये उ0प्र0 राज्य सरकार ने विश्व–विद्यालयों, राज्य विश्व–विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापकों से अपने– अपने विषय से सम्बन्धित अधिकाधिक कन्टेण्ट को इन्टरनेट पर अपलोड करने के लिये आदेशित किया है । जिस पर दिन रात निरंतर हजारों प्राध्यापक अपने–अपने विषय से सम्बन्धित अध्ययन सामग्री अपलोड करने का कार्य कर रहे है । ई–लाइब्रेरी के कन्टेण्ट की मौलिकता की सुनिश्चितता हेतु कॉपी राइट अधिनियम लागू किया गया है, जिससे विभिन्न प्राध्यापकों द्वारा अपलोड किये गये कन्टेण्ट की चोरी को रोका जा सके ।

संदर्भ स्रोत

1. शर्मा, पाण्डेय एस0के0 (1988)। पुस्तकालय और समाज। नई दिल्ली: ग्रन्थ अकादमी।
2. शर्मा, पाण्डेय एस0के0 (1998)। पुस्तकालय और समाज। नई दिल्ली: ग्रन्थ अकादमी।
3. व्यास, एस0डी0 (1995)। पुस्तकालय और समाज। जयपुर: पंचशील।
4. अग्रवाल, एस0डी0 (1996)। ग्रन्थालय और समाज। आर0बी0एस0ए0।
5. India. Ministry of Human Resource Development -National Education Policy 2020 on Library and Information System -A presentation NewDelhi
6. Ekbote, Gopal Rao (1987). Public Libraries System.Hyderabad: Ekbote Brothers.
7. Mittal, R.L. (1971). Public Libraries Law: An International survey. New Delhi : Metropolitan Publishing Co.
8. Ranganathan, S.R.(1953). Library Legislation: Hand-Book to Madras Library Act.Madras:Madras Library Association.
9. Ranganathan, S.R. and Neelameghan A. (1972).(eds). Public Library System : India, srilanka, UK, USA. Comparative LibraryLegislation, Bangalore : Sarada Ranganathan Endowment for Library Science.

10. .Rath,Pravakar (1996). Public Library Finance. New Delhi : Pratibha Prakashan.Venkatappaiah, Velaga (1990). Indian Library Legislation. New Delhi: Daya Publishing House. 2 Vol.
11. Venkatappaiah, Velaga (1994). Model Library Legislation. New Delhi: Concept Publishing Co.
12. Venkatappaiah, Velaga (1995). Model State Library Policy and Legislation (For the States and Union Territores). Delhi: Indian Library Association.
13. India. Ministry of Education and Youth Affairs. (1959). Report of Advisory Committee for Libraries.Delhi : Manager of Publications .
14. India. Ministry of Human Resource Development Department of Culture (1986). National Policy on Library and Information System -A presentation NewDelhi .
15. Planning Commission (1966). Report of the Working Group on Libraries, New Delhi.
16. Planning Commission (1984). Report of the Working Group on Modernisation of Libraries and Information for the Seventh Five Year Plan 1985-90, New Delhi.
17. Rajagopalan T.S(1988). Year's Work in Indian Librarianship. Delhi : Indian Library Association.
18. Report of the Working Group of the Planning Commission on Libraries and Information for the Eighth Five Year Plan 1990-95 (1989). New Delhi : Department of Culture.
19. Report of the Working Group of the Planning Commission on Libraries and Information for the ninth Five Year Plan 1997-2002. (1996). New Delhi : Department of Culture.
20. University Grants Commission (1959). University and College Libraries, Containing the Report of the Library Committee of the UGC and the Proceedings of the Seminar on From Publisher toReader held on march 4-7, 1957, UGC, NewDelhi.